

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय पिडावा जिला झालवाड राज0

2

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट सहपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट बाबत।

महोदय,

निवेदन है कि ग्राम डावल जमाबंदी सं. 2074-77 के खाता सं. 225, 349 में दर्ज खातेदारान/वादीगण के पिता/पति/हिस्सा/जाति/निवासी में गलत इन्द्राज/लिपीकीय त्रुटी को अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट में निम्नानुसार शुद्ध किया जाकर अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट में खातेदार घोषित किया जावे।

भू प्रबंध खतोनी खाता सं.	भू प्रबंध खतोनी अनुसार प्रविष्टि	वर्तमान जमाबंदी खाता सं.	वर्तमान इन्द्राज/ त्रुटी पूर्ण इन्द्राज	प्रस्तावित इन्द्राज (शुद्ध प्रविष्टि)
1	2	3	4	5
225 349	परमानन्द पुत्र भेरीवाड भगवती वाड पुत्री भेरी वाड जाति-चमार	225, 349	परमानन्द पुत्र भेरीवाड भगवती वाड पुत्री भेरी वाड जाति-चमार	परमानन्द पुत्र भेरीवाड भगवती वाड पुत्री भेरीवाड जाति-मेयवाल

वादी एवं गवाहान का नाम/पिता/जाति/निवासी का विवरण

- परमानन्द डा. भेरीवाड जाति-मेयवाल
- वामनलाल डा. भेरीवाड जाति-मेयवाल पि. रामप्रसाद
- दीपक डा. रामप्रसाद जाति-भेरीवा नि. शाली
-

हस्ताक्षर

परमानन्द कर्पूर
दीपक नीगा

रिपोर्ट पटवारी

वादी/प्रार्थी के वाद पत्र के अनुसार ग्राम डावल के राजस्व रिकार्ड की जांच की गई। मजमे आम में ली गई जानकारी /भू प्रबंध जमाबंदी एवं वर्तमान जमाबंदी में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज उक्त सारणी अनुसार शुद्ध किया जाकर तदानुसार वादी खातेदार घोषित होने योग्य है।

रिपोर्ट भू0अभिलेख निरीक्षक

हस्ताक्षर पटवारी

प0म0 डावल

21/07/25

पटवारी रिपोर्ट की जांच की गई। राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज पटवारी रिपोर्ट अनुसार शुद्ध किये जाने योग्य है।



भू0अभिलेख निरीक्षक
भू0अ0नि0वृ0.21/7/25

21/07/2025



3

रिपोर्ट तहसीलदार/पैरोकार सरकार

क्रमांक: राजस्व/2025/1176

दिनांक : 21.07.2025

महोदय, जांच रिपोर्ट पटवारी एवं भूअभिलेख निरीक्षक अनुसार ग्राम डावल के वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को शुद्धि किया जाना उचित होगा। रिपोर्ट सादर प्रस्तुत है।

राजस्व
तहसीलदार/नायब तहसीलदार
राजपुर

आदेश

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड राज0

क्रमांक: राजस्व न्यायालय/2025/240

दिनांक : 08/08/25

वादी/प्रार्थी के ग्राम डावल के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को तहसीलदार राजपुर की उक्त जांच रिपोर्ट/प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित सारणी के कॉलम 4 में अंकित त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को कालम सं. 5 अनुसार दुरुस्त किया जाना स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार राजपुर को आदेशित किया जाता है कि वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में सारणी के कालम सं. 5 अनुसार इन्द्राज दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

राजपुर
08/08/25
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड राज0